न्यायालय प्राधिकरण अधिकारी जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2017 अपील भरण–पोषण

उनवान

1. श्री सुवालाल पिता भूरालाल शर्मा निवासी जी–ई 27, नया बापूनगर, प्रतापनगर थाने के पीछे, भीलवाड़ा
2. श्रीमती मांगीबाई पत्नि सुवालाल शर्मा निवासी जी–ई 27, नया बापूनगर, प्रतापनगर थाने के पीछे, भीलवाड़ा

बनाम

1.श्रीमति गायत्री देवी पत्नि संजय कुमार शर्मा निवासी जी–ई 27, नया बापूनगर, प्रतापनगर थाने के पीछे, भीलवाड़ा

2.श्री संजय कुमार पिता सुवालाल शर्मा, निवासी जी–ई 27, नया बापूनगर, प्रतापनगर थाने के पीछे, भीलवाड़ा

––अपीलार्थी **––प्रत्यर्थी/विपक्षीगण**

अपील अर्न्तगत धारा 22, 24, 25 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधि. 2007 बाबत स्वयं के मकान में अपीलार्थीगणों को पुनः प्रवेश करा जानमाल की सुरक्षा एवं संरक्षण दिलाये जाने

उपस्थितः– श्री विवेकानन्द शर्मा, अधि0अपीलान्ट
श्रीमती कैलाश कंवर चारण, अधि0 रेस्पो0सं0 1

:: निर्णय ::

दिनांक 21.07.2017

अपीलार्थी/प्रार्थीगण की ओर से यह प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22,24 व 25 वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा बमामले प्रकरण सं0 03/2015 निर्णय दिनांक 20/07/2015 के खिलाफ दिनांक 15.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत मकान खाली करा कब्जा दिलाये जाने अन्तर्गतधारा 22 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 का पेश किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.07.2015 को प्रार्थना पत्र कानिस्तारण करते हुए इस आशय का आदेश पारित किया कि प्रार्थी सुवालाल शर्मा रेल्वे विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारनी होने सेपर्याप्त रूप से पेंशन मिलती हैतथा प्रार्थी को भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में मकान खाली कराकर कब्जादिलाये जाने बाबतआदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया जो भरण पोषण अधिनियम 2007 के प्रावधानों मेंसमायोजित नहीं होता है। उक्त आदेश के विरूद्ध निम्न आधारों के तहत अपील प्रस्तुत है–

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष को अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माता पिता भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकोंकाभरण पोषण अधिनियम 2007

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

मेंविहित्त प्रावधानोंका गलत विवेचन कर उक्तआक्षेपितनिर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। उक्त अधिनियम 2007 के तहत आने वाले पीड़ित माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को न केवल भरण पोषण दिलाये जाने बल्कि उनके कल्याण एवं संरक्षित किये जाने के प्रावधानोंकोशामिल कर उनकी पालना कराये जाने का उत्तरदायित्व अधीनस्थ न्यायालय(भरण पोषण अधिकरण) एवं श्रीमान न्यायालय पर अधिरोपित किये हैं। अधि0 2007 की धारा 24 के अनुसार माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों की सम्पदाओं का उपयोग उपभोग करने वाले एवं जिनके पास उनकी देखरेख या सुरक्षाहै उन वारिसान पुत्रों द्वारा प्रताड़ित करने अथवा उनका परित्याग करने पर ऐसे पीड़ित माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षित कराये जाने एवं दोषियों को दण्डित किये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया जिसको नजरन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आक्षेशपित निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि अपीलार्थीगण उम्र से काफी वृद्ध होकर वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं जो भीलवाड़ा शहर के बापूनगर में स्थित अपनी स्वअर्जित आय से उक्त मकान खरीद किया तथा पिछले 20 सालों से निवास करते आ रहे हैं। उक्त मकान स्वयं का खरीदशुदा होने से उसमें निवास एवं उपयोग उपभोग करने का प्राथमिक अधिकार अपीलार्थीगण का है। बावजूद इसके न केवल रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थीगणों को प्रताड़ित किया गया बल्कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद अपीलार्थीगणों को मारपीट कर घर से निकाल दिया। इस पर प्रार्थीगणों द्वारा थाना प्रतापनगर में रिपोर्ट दी जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके पश्चात प्रार्थीगणों ने श्रीमान व पुलिस अधीक्षक के समक्ष जनसुनवाई के दौरान व कार्यालय पर कई बार परिवाद पेश किये । अपीलार्थीगणों द्वारा श्रीमान के समक्ष जनसुनवाई के माध्यम से पेश किये गये परिवादों के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने से अप्रार्थीगणों ने प्रार्थीगणों को अपने उक्त खरीदशुदा व स्वयंकेस्वामित्व केमकान से पिछले 01 वर्ष पूर्व मारपीट कर घर से बेदखल कर दिया जिसके कारण प्रार्थीगणों को उम्र के इस पड़ाव में मजबूरीवश स्वयं का मकान होते हुए भी किराये के एक छोटे कमरे में निवास करना पड़ रहा है। अप्रार्थीगणों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से प्रार्थीगणों को लगातार धमकियां दी जा रही है। जिसके फलस्वरूप से प्रार्थीगणों का खुली हवा में जिन्दा रहना भी मुश्किल हो रहा है। उक्त अधिनियम के अध्याय 05 की धारा 22 के तहत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपति की संरक्षा के बाबत जिला मजिस्ट्रेट पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही के लिये श्रीमान को राज्य सरकार द्वारा समस्त शक्तियां अधिरोपित की गई है जिसके तहत प्रार्थीगणों को अप्रार्थीगणों द्वारा अपने स्वयं की सम्पत्ति खरीदशुदा मकान में पुनः प्रवेश करा प्रार्थीगणों के जीवन की सुरक्षा अप्रार्थीगणों से सुनिश्चित कराने का आदेश फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थीगणों के साथ उक्त अधिनियम की धारा 24 की अवहेलना कर घर से बेदखल कर परित्याग करने के आपराधिक कृत्य की सजा दिलवाये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे। अतः श्रीमान

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

से निवेदन है कि प्रार्थीगणों की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रार्थीगणों के साथ किये गये अपराध की सजा दिलवाने एवं प्रार्थीगणों को स्वयं के उक्त मकान में प्रवेश करवा उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करवाये जाने का समुचित आदेश पारित फरमावें तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा किये गयेआपराधिक कृत्य के कारण उनके मकान में रहने का अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं रहा जिस कारण रेस्पोडेन्ट को उक्त मकान पर से बेदखल किया जाने का आदेश प्रदान करावें। अपील के साथ विलम्ब के लिए अवधि अधिनियम की धारा – 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 01.03.2017 को पंजीबद्ध की जाकर प्रत्यर्थीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया तथा अपीलाधीन आदेश सम्बन्धी रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से दिनांक 03.05.2017 को अपील का जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में अपील के बिन्दु संख्या 1 व 2 को अस्वीकार किया। बिन्दु संख्या 3 को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण के प्रार्थी सुवालाल ने दिनांक 20.10.2015 को स्वयं ने मकान नम्बर जी–ई 27 बापूनगर भीलवाड़ा वाला मकान अपनी स्वेच्छा से अप्रार्थीया को प्रदत्त किया जिस बाबत उक्त दिनांकका इस बाबत एक ईकरार निष्पादित कर अप्रार्थीया कोदिया गया है अब उसकी नियत में फितूर आ जाने सेउक्त कथन अंकित करते हुए अपील पेश की है जो इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी मकान खाली कराकर कब्जा दिलाये जाने बाबत भरण पोषण अधिनियम 2007 के प्रावधानों में समायोजित नहीं होने से जो आदेश पारित किया गया वह सही तौर पर पारित किया गया है। जवाबदाता ने प्रार्थी को कभी भी घर से बाहर नहीं निकाला है बल्कि स्वयं प्रार्थी ने उक्त तथाकथित मकान अपनी स्वेच्छा से अप्रार्थीया को दिया है जिस बाबत दिनांक 20.10.2015 को इकरार नामा भी जवाबदाता के पक्ष मे निष्पादित कर रखा है। अपील की कलम संख्या 06 गलत होकर अस्वीकार है। जवाबदाता ने कभी भी प्रार्थीगण को घर से बाहर नहीं निकाला न ही किसी प्रकार की प्रताड़ना कारित की न ही किसी प्रकार की धमकियां ही दी है। जवाबदाता ने अपील की कलम संख्या 7 से लगायत 9 व 11 को अस्वीकार किया है। बिन्दु संख्या 10 को अस्वीकार कर निवेदन किया कि प्रार्थी की अपील मियाद बाहर है जिस कारण से खारिज होने योग्य है क्योंकि देरी को कण्डोन किये जाने का कोई कारण अथवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। मजीद कथन में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2015 को आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई जो कि मियाद बाहर है साथ ही उक्त अपील में कहीं पर भी अपील पेश करने में हुई देरी का कोई युक्ति युक्त कारण ही अंकित किया न ही आवेदन पेश किया है। अपील मियाद बाहर होने से इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है। उक्त जवाबदाता ने मकान का निर्माण कराया जिसमें दो लाख रूपये निर्माण कार्य में लगाये हैं। अपीलार्थी सुवालाल जो कि रेल्वे से रिटायर्ड है जिसको मोटी राशि पेंशन में मिलती है जिस कारण से उसको किसी प्रकार की

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कोई राशि की आवश्यकता नहीं है एवं तथाकथित मकान भी दिनांक 20.10.2015 को स्वयं अपीलार्थी सुवालाल ने अपनी स्वेच्छा से जवाबदाता को सिपुर्द किया व उसी दिनांक को एक ईकरारनामा भी जवाबदाता के हक में निष्पादित किया गया है व अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश सही पारित किया गया है। इस कारण से अपील सव्यय खारिज होने योग्य है।

अपील के साथ अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 03/2015 आदेश दिनांक 20.07.2015 की प्रमाणित फोटो प्रति, मकान नं0 जी ई–27 बापूनगर भीलवाड़ा की लीजमुक्ति हेतु सचिव, नगरविकास न्यास, भीलवाड़ा के नाम कंचन देवी द्वारा लिखे पत्र की फोटो प्रति, कार्यालय नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के पत्रांक /आवास गृह/आवंटन/89/56396 दिनांक 25.03.1989 को श्रीमती कंचन देवी पत्नि हरनारायण C/O सिरकी मोहल्ला हरकाराम सोमानी भीलवाड़ा के नाम पर उक्त विवादित आवास गृह आवंटित किया उसकी फोटो प्रति, उक्त आवास अपीलार्थी श्रीमती मांगीबाई पत्नि सुवालाल शर्मा के द्वारा श्रीमती कंचन देवी पत्नि हरनारायण सोमानी से क्रय किया उसका विक्रय इकरार 5/– रूपये के स्टाम्प पर लिखा गया जिसकी फोटो प्रति, इसी आवास बाबत श्री शोभालाल पिता मांगीलाल विश्नोई निवासी पुर के द्वारा अपीलान्ट श्री सुवालाल पिता भूरालाल शर्मा निवासी बापूनगर भीलवाड़ा के पक्ष में स्पेशल पावर ऑफ अटोरनी 10/– रूपये केस्टाम्प पर नोटेरी से तस्दीक शुदा की फोटो प्रति,श्री ओमप्रकाश जैन निवासी 2जे–13 बापूनगर भीलवाड़ा के द्वारा अपीलान्ट सुवालाल को दिनांक 20.10.2015 से उनके मकान में किराये पर रहने के सम्बन्ध में लिखे गये पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा श्री सुवालाल के द्वारा दिनांक 20.10.2015 को रेस्पोडेन्ट संजय व गायत्री को परेशान नहीं करे व घर से बाहर नहीं निकालने के सम्बन्ध में लिखे पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 10.03.2017 को प्राप्त होने के पश्चात दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

बहस में वकील अपीलान्ट के द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.07.2015 से मुझ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र उक्त अधिनियम में समायोजित नहीं होने से खारिज किया जो गलत है क्योंकि माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 22, 23 व 24 में यह व्यवस्था दी गई है कि वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति को संरक्षित कराये जाने एवं दोषियों को दण्डित किये जाने के प्रावधान दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की खण्डपीठ की एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 15453/2016 निर्णय दिनांक 23.02.2017 श्रीमती रश्मि सक्सेना बनाम सुरेश प्रकाश सक्सेना एवं माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 22405/2015 मंजीत सिंह बनाम जिला मजिस्ट्रेट करनाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2015 के उद्धरण प्रस्तुत किए हैं तथा अपील स्वीकार कर अपीलान्ट को मकान का कब्जा दिलाने तथा रेस्पोडेन्ट्स को बेदखल करने हेतु आदेश

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

फरमाने हेतु निवेदन किया। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बहस में बताया कि अपीलान्ट स्वयं पेंशनर होने के कारण भरण पोषण की आवश्यकता नहीं है। अपील मियाद बाहर है। धारा–5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं है। स्वयं अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को घर से बाहर जाने के लिए लिखकर दिया है। मकान में आकर रहने से किसी ने मना नहीं किया है। भरण पोषण में Maintenance चाहिए या मकान वापस चाहिए। उक्त अपील खारिज योग्य है।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस के तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

सर्व प्रथम अपील मेमो के साथ प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया जाकर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा हैं। प्रार्थी अपीलान्ट के द्वारा अपने मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि जनसुनवाई के दौरान श्रीमान जिला कलक्टर महोदय एवं जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के पुस्त पर सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए जाने पर मुझ अपीलान्ट के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है। उक्त निर्देशों की पालना में यह अपील मय शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत की है विलम्ब को क्षमा फरमावें। हमने दोनों पक्षों को सुना तथा न्याय के दृष्टिकोण से प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को मियाद में शुमार किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

अब अपील मीमों के गुणावगुणों पर विचार किया जा रहा है। अपीलार्थी के द्वारा भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता के लिए कोई दाद नहीं चाही है। अपीलार्थीगण ने अपनी स्वअर्जित आय से नया बापूनगर,भीलवाड़ा में स्थित मकान नं0 जी–ई 27 क्रय किया जिसमें अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 व अन्य पुत्र साथ ही निवास करते थे।वादोक्त मकान अपीलार्थी श्रीमती मांगीबाई पत्नि सुवालाल ने श्रीमती कंचनदेवी पत्नि हरनारायण सोमानी नि0 भीलवाड़ा से 20000/– रूपये में सन् 1991 में क्रय किया इसकी ताईद में नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा का आवंटन पत्र क्रमांक 56396 दिनांक 25.03.1989 की फोटो प्रति, तथा विक्रय इकरार नामा की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। इस तथ्य को स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किए गए जवाब में सही होना स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है कि नया बापूनगर,भीलवाड़ा में स्थित मकान नं0 जी–ई 27 अपीलार्थीगण की अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति है। रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलार्थी श्री सुवालाल ने दिनांक 20.10.2015 को स्वेच्छा से एक इकरार लिखकर उक्त मकान दिया है। अपील में प्रस्तुत उक्त पत्र दिनांक 20.10.2015 की फोटो प्रति से स्पष्ट है कि यह एक खाम कागज पर लिखा हुआ है जिस पर केवल अपीलान्ट सुवालाल के हस्ताक्षर है इस पर किसी साक्ष्य के हस्ताक्षर नहीं है इस प्रकार यह किसी दस्तावेज की तारीफ में नहीं आता है। इसमें भी केवल यह अंकित किया है कि यह मकान मैं खाली करके जा रहा हूं मेरे अन्य परिवार वाले संजय व गायत्री को परेशान नहीं करें।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त पत्र से किसी प्रकार के मकान में अधिकार रेस्पोडेन्ट्स को प्राप्त नहीं हो जाते हैं। जबकि रेस्पोडेन्ट गायत्री ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में बताया कि अपीलार्थीगण के उक्त मकान की दूसरी मंजिल का निर्माण मुझ रेस्पोडेन्ट्स द्वारा 2.00 रूपये अपने पिता भैरूलाल शर्मा से उधार लेकर करवाया है परन्तु पत्रावली में उक्त कथन की ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा मटेरियल व मजदूरों आदि के बिल्स प्रस्तुत नहीं किए हैं । साथ ही इस मकान में निर्माण करना बताया वह स्वयं का मकान नहीं था और अपीलार्थीगण मकान था उनकी सहमति का पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट गायत्री देवी का कथन खारिज योग्य है। इसी जवाब में गायत्री ने लिखा कि अपीलार्थीगण के साथ मेरे द्वारा परेशान नहीं किया बल्कि विपक्षी संजय कुमार जोकि गायत्री का पति है के द्वारा गाली गलोच करना व लड़ाई झगड़ा करता था। उक्त परेशानी की वजह से अपीलार्थीगण ने मकान खाली किया न कि हस्तान्तरित किया जिस कारण रेस्पोडेन्ट अपना अधिकार मानती है वह गलत है। अपीलार्थीगण वृद्ध होकर वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में आते हैं जिनकी सेवा सुश्रुषा एवं भरण पोषण का दायित्व उनके पुत्र व पुत्र वधु का होता है परन्तु रेस्पोडेन्ट गायत्री जोकि पुत्रवधु है जिसके द्वारा उक्त दायित्व का निर्वहन नहीं किए जाने से अपीलार्थीगण को अपने ही मकान को छोडकर अन्यत्र किराये के मकान में निवास करना पड़ रहा है इस तथ्य की पुष्टि अपील में प्रस्तुत श्री ओप्रकाश जैन निवासी 2–जे–13 बापूनगर भीलवाड़ा के द्वारा दिनांक 20.10.2015 से ही अपना मकान किराये पर दिया गया है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने मकान व स्वजनों को छोडकर किसी के मकान में किराए पर रहने को मजबूर तभी हो सकता है जबकि वह परेशान हो। राज्य सरकार के द्वारा ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं उनकी सम्पत्ति के संरक्षण हेतु माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 के अन्तर्गत धारा 22,23, 24 व 25 में जिला मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान की गई है।

इसी सम्बन्ध में अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर, माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के उद्धरण प्रस्तुत किए हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर की एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 15453 श्रीमति रश्मी सक्सेना बनाम श्री सुरेश प्रकाश सक्सेना निर्णय दिनांक 23.02.2017 प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट अंकित है कि " .Whether the house is self-acquired house of the parents, the son,whether married or unmarried, has no legal right to live in that house.He can livein that house only at the mercy of his parents upto the time the parents allow." इसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि सम्पत्ति माता–पिता की स्वअर्जित है तो उसमें उनकी इच्छा पर ही रह सकते हैं। रेस्पोडेन्ट का कथन है कि विपक्षीया अपीलार्थीगण की

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पुत्रवधु है और पुत्रवधु के भरण पोषण का दायित्व अपीलार्थीगण पर है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के इसी निर्णय में स्पष्ट किया है कि "The fact, however, remains that as of now marriage between two does not subsist and both are strangers to each other.In view of this,the daughter -in-law cannot claim right of residence as against father-in-law, although she can proceed against her husband.This court therefore doesnot find any error or infirmity in the impugned orders."

इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि एक बहु अपने ससुर की सम्पत्ति में अधिकार हेतु कोई वाद नहीं ला सकती है और उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट गायत्री जो कि अपीलार्थीगण की बहु है जिससे अपीलार्थीगण की स्वअर्जित सम्पत्ति में उसे कोई हक प्राप्त करने का अधिकार नहीं हैं।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के द्वारा अपने प्रकरण संख्या 3/2015 निर्णय दिनांक 20.07.2015 में यह निर्णय दिया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में मकान खाली कराकर कब्जा दिलाये जाने बाबत निवेदन किया जो कि भरण पोषण अधिनियम 2007 के प्रावधानों में समायोजित नहीं होता है।

इस सम्बन्ध में माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रकरण सी0डब्ल्यू0पी0 संख्या 22405/2015 श्री मंजीत सिंह बनाम जिला मजिस्ट्रेट एवं उप आयुक्त, करनाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2015 में स्पष्ट किया है कि "Section 22 of the Act. The State Government may,conger VINODKUMAR 2015-11-03 I attest to the accuracy and authenticity of this document Chandigarh CWP 22405 of 2015 . such powers and impose such duties on a District Magistrate as may be necessary, to ensure that the provisions of this Act are properly carried out and the District Magistrate May specify the officer, subordinate to him,who shall exerciseall or any of the powers of duties shall be carried out by the officer as may be prescribed.(2) The State Government shall prescribe a comprehensive acion plan for providing protection of life and property of senior citizens." अर्थात उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट वरिष्ठ नागरिकों की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु काननून अधिकृत है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील में वर्णित मकान नं0 जी–ई 27 नया बापूनगर, भीलवाड़ा अपीलार्थीगण की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसमें उसके पुत्रों व पुत्रवधुओं को अपनी इच्छा से जब तक चाहें रहने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। रेस्पोडेन्ट गायत्री देवी अपीलार्थीगण की पुत्रवधु होने के नाते उसका इस सम्पत्ति में कोई अधिकार

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नहीं होने से इसमें अपीलार्थीगण की इच्छा के विरूद्ध रहने का भी अधिकार नहीं है। स्वयं अपीलार्थीगण के द्वारा भी इस अपील के माध्यम से यही सहायता चाही गई है कि मकान खाली करा कब्जा दिलाया जावे। अतएव–

निर्णय

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 22,23, 24 व 25 के प्रावधानानुसार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 3/2015 में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2015 को खारिज किया जाता है तथा पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को आदेशित किया जाता है कि मकान नं0 जी–ई 27 नया बापूनगर, भीलवाड़ा को खाली करा अपीलार्थीगण को कब्जा दिलाया जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा को उनकी पत्रावली के साथ तथा जिला पुलिस अधीक्षक,भीलवाड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 21/07/2017 को तैयार करा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
प्राधिकरण अधिकारी, जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा